



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44568

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7907/2026

रहीसुद्दीन

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रभाकर पाल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 41 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, प्रतिवादी संख्या 2, उप-विभागीय अधिकारी, जिला एटा द्वारा दिनांक 24.07.2024 को एक आदेश पारित किया गया था।
3. यह निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है; अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।
4. उपरोक्त के मद्देनजर और न्याय के हित में, याचिकाकर्ता को जिला एटा के उप-विभागीय अधिकारी, प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ इस रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। यदि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 उस पर विचार करेंगे और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करके, यथाशीघ्र और अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर, अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, उस पर निर्णय लेंगे।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण दोष पर निर्णय नहीं किया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।